


कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश पन्ना म०प्र०

// निविदा आमंत्रण सूचना //

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय भवन पन्ना के अंतर्गत स्थित सर्विस बिल्डिंग में केन्टीन संचालन हेतु इच्छुक संस्थाएं, व्यक्ति एवं कम्पनी से बंद निविदा प्रस्ताव आमंत्रित की जानी है। निविदा की शर्तें संबंधी निविदा प्रलेख मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाईट www.mphc.in पर टेण्डर के कॉलम में उपलब्ध हैं। इच्छुक संस्थाएं/व्यक्ति/कम्पनी अपना आवेदन निविदा शर्तों के संबंध में सहमति दर्शाते हुये दिनांक 28.02.2020 तक सायं 5.00 बजे तक कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश पन्ना में जमा कर सकते हैं।

निविदा दिनांक 29.02.2020 को दोपहर 2.00 बजे स्थापना में गठित कमेटी एवं अन्य तथा निविदाकर्ताओं की उपस्थिति में खोली जावेगी। उक्त समय में निविदाकर्ता यदि उपस्थित नहीं हो सकते हैं, तो वह किसी अन्य को प्रतिनिधि के रूप में अधिकार पत्र के साथ उपस्थित होने के लिये संसूचित कर सकते हैं, किंतु अनुपस्थिति की दशा में किसी भी प्रकार की, की गई आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।



कृते-जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पन्ना म०प्र०

जिला न्यायालय पन्ना स्थित कैंटीन संचालन हेतु निविदा फार्म एवं शर्तें

नोट:- कैंटीन:- 1. कार्यापालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग पन्ना के पत्र क्रमांक 87/तक/भवन/2019-20 दिनांक 10.01.2020 के अनुसार कैंटीन का किराया रूपये 13,370/- (तेरह हजार तीन सौ सत्तर मात्र) रूपये प्रतिमाह निर्धारित है।

कैंटीन :- जिला न्यायालय परिसर के अंदर सर्विस बिल्डिंग के अंतर्गत संचालन का स्थान निर्मित कैंटीन कक्ष के लिये निर्धारित।

-: निविदा फार्म :-

प्रथम पक्ष :- निविदाकर्ता का
नाम
पता
मोबा.न

द्वितीय पक्ष :- जिला रजिस्ट्रार,
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना म0प्र0

जिला न्यायालय परिसर पन्ना स्थित सर्विस बिल्डिंग के अंतर्गत कैंटीन के संचालन हेतु निविदाकर्ताओं से 01 वर्ष की अवधि हेतु निर्धारित शर्तों के अधीन निविदाएं विज्ञापन के माध्यम से आमंत्रित की जाती हैं :-

।। निर्धारित शर्तें ।।

1. निविदा अनुबंध हेतु सीलबंद निविदाएं "जिला एवं सत्र न्यायाधीश पन्ना" के नाम से दिनांक 28 फरवरी, 2020 के सायंकाल 5:00 बजे तक स्वीकार की जाएंगी। इसके पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
2. अनुज्ञा शुल्क जिला न्यायालय पन्ना स्थित सर्विस बिल्डिंग में पूर्व से संचालित कैंटीन कक्ष हेतु किराया 13,370/- (तेरह हजार तीन सौ सत्तर रूपये मात्र) निर्धारित है।
3. निविदाकर्ता द्वारा निविदा के साथ कैंटीन संचालन हेतु अग्रिम रूपये 25,000/- की राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट से द्वितीय पक्ष के हित में देय होंगी, जो जिस निविदाकर्ता की निविदा स्वीकार की जायेगी, उक्त निविदाकर्ता की राशि अमानत के रूप में एक वर्ष के लिये द्वितीय पक्ष के पास सुरक्षित जमा रहेगी तथा शेष निविदाकर्ताओं जिनकी निविदाएं असफल होंगी, उनकी राशि निविदा की चयन प्रक्रिया के एक सप्ताह के पश्चात् मूलतः निविदाकर्ता को वापस की जावेगी।
4. निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत बंद निविदाएं प्राप्त होने पर निर्धारित तिथि 29 फरवरी, 2020 को अध्यक्ष/सदस्यगण देख-रेख एवं निर्माण निगरानी समिति पन्ना, जिला पन्ना के समक्ष निविदाकर्ताओं की उपस्थिति में खोले जाकर अंतिम रूप दिया जावेगा, जिसपर अधिकतम निविदाकर्ता की निविदा मान्य होगी। उक्त राशि 6 माह की अग्रिम राशि चेक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से कैंटीन संचालन के एक सप्ताह पूर्व अनुबंध सहित द्वितीय पक्ष "कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश पन्ना" के हित में जमा कराना होगा। आगामी शेष 6 माह की राशि प्रथम 6 माह समाप्त होने के 15 दिवस शेष रहने के पूर्व जमा कराया जाना अनिवार्य होगा।
5. कैंटीन जिन निविदा कर्ताओं के पक्ष में अंतिम रूप से स्वीकार होती है, एक वर्ष के संचालन के उपरांत यदि वह आगामी एक वर्ष के लिये संचालन चाहते हैं, तो पूर्व से निर्धारित किराये में 10 प्रतिशत की वृद्धि पर देय होगी। जिसके लिये निविदाकर्ताओं को संचालन अवधि समाप्त होने के एक माह पूर्व आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. निविदाकर्ता द्वारा निविदा शर्तों के अधीन लिये गये कंन्टीन एक वर्ष की अवधि के लिये होगी, यदि निविदाकर्ता द्वारा एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पूर्व संचालन बंद किया जाता है तो अमानत के रूप में जमा राशि जप्त/राजसात की जाकर शासन के हित में जमा जावेगी।
7. निविदाकर्ताओं द्वारा निविदा की शर्तों का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से किन्हीं भी परिस्थितियों में उल्लंघन करने की दशा में अथवा अन्यथा स्थिति निर्मित होने पर बिना किसी सूचना के कंन्टीन का अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकेगा एवं धरोहर की राशि शासन के हित में राजसात की जा सकेगी।
8. कंन्टीन संचालक के संदर्भ में प्रथम पक्ष/द्वितीय पक्ष के मध्य किसी भी प्रकार का विवाद होने पर विवाद का क्षेत्राधिकार/निराकरण जिला न्यायाधीश पन्ना को होगा, जो प्रथम पक्ष पर बंधनकारी होगा।
9. निविदाकर्ता द्वारा कंन्टीन के संचालन के संदर्भ में प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष से अनुमति लिये बगैर किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन/संशोधन कार्य नहीं करेगा, ऐसा किये जाने पर अनुज्ञा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
10. कंन्टीन संचालनकर्ता, स्वच्छता/साफ-सफाई/पारदर्शिता के प्रति पूर्णतः उत्तरदायी होंगे। किन्ही भी परिस्थितियों पर उपरोक्त के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर अनुज्ञा निरस्त/समाप्त की जा सकेगी।
11. कंन्टीन संचालनकर्ता को विद्युत के निस्तारण/विस्तारण के संबंध में स्वयं के नाम से नियमानुसार विद्युत कनेक्शन/मीटर का संयोजन कराया जाकर भुगतान सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
12. कंन्टीन संचालनकर्ता को खाद्य सामग्री विक्रय की दरों का अनुमोदन द्वितीय पक्ष से कराया जाना आवश्यक होगा, साथ ही अनुमोदित दरों पर ही मानक स्तर की खाद्य सामग्री विक्रय की जावेगी।
13. कंन्टीन संचालनकर्ता को कंन्टीन का संचालन कार्य दिवसों में प्रातः 9.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक ही निर्धारित रहेगा। यदि बिना किसी पूर्व सूचना दिये कार्य दिवसों में कंन्टीन का संचालन बंद होना पाया जाता है तो 1000 रुपये प्रतिदिन की दर से शास्ति अधिरोपित की जावेगी।
14. न्यायालय परिसर के अंदर किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियां एवं मादक पदार्थों अथवा दूव्यों जैसे धूम्रपान, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे, संलिप्त पाये जाने पर विधि अनुसार संचालनकर्ता के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जावेगी।
15. कंन्टीन संचालनकर्ता द्वारा बंद निविदा के साथ पहचानपत्र जैस मतदाता परिचय पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/आधार कार्ड/पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।
16. निविदाएं प्राप्त करने का समय प्रत्येक कार्य दिवस में 11.00 बजे से 5.00 बजे शाम तक रहेगा।
17. कंन्टीन संचालन हेतु अनुबंध 500/- रुपये के स्टाम्प में मान्य होगा, जो प्रथम पक्ष के लिये बंधनकारी होगा एवं निविदाएं सफल होने पर सफल निविदाकर्ता को 15 दिवस के अंदर अनुबंध पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

“मुझे निविदा की समस्त शर्तें स्वीकार हैं।”

.....
.....

**हस्ताक्षर
निविदा (प्रथम पक्ष)**

जिला रजिस्ट्रार

**कार्या0-जिला एवं सत्र न्यायाधीश पन्ना
हस्ताक्षर
(द्वितीय पक्ष)**

संलग्न :- 1. कंन्टीन संचालन हेतु दर की सूची।

केन्टीन संचालन हेतु दर

क्र०	खाद्य सामग्री का नाम	मात्रा/तादात	कीमत
1.	चाय	प्रति कप	5/- रूपये
2.	काफी	प्रति कप	10/- रूपये
3	समोसा एवं आलूबंडा	प्रति नग	5/- रूपये
4	कचोरी	प्रति नग	10/- रूपये
5	इडली/सांभर/दहीबडा	प्रति नग 2इडली, 2 बडा	20/- रूपये
6	पोहा	प्रति प्लेट	10/- रूपये
7	भजिया/मंगौडी	प्रति प्लेट	10/- रूपये
8	जलेबी	प्रति प्लेट	10/- रूपये
9	बालूशाही	प्रति नग	5/- रूपये
10	लडडू (बूंदी व मगज)	प्रति नग	7/- रूपये
11	दोपहर का भोजन 1. सब्जी एक (मौसमी) 2. दाल (सादा/फाई) 3. चावल (हाफ प्लेट) 4. रोटी चार 5. सलाद/दही/छाछ	प्रति थाली	50/- रूपये
12	सब्जी एवं 6 पूडी	प्रति पैकेट	30/-

उक्त सामग्रियों के अलावा प्रथम पक्ष/केन्टीन में पैक की हुई खाद्य सामग्री एवं पेय पदार्थ जिनमें कम्पनी या निर्माता की ओर की कीमत निर्धारित की गई है उसे वह निर्धारित दर पर विक्रय कर सकेगा।

प्रथम पक्ष अन्य ऐसी खाद्य सामग्री जिसका उल्लेख उक्त सूची में नहीं है और वह खाद्य सामग्री का मूल्य जिला न्यायाधीश महोदय के द्वारा निर्धारित किये जाने उपरान्त वह विक्रय कर सकेगा।